समाहरणालय,मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

श्री राजेश कुमार सर्राफ,प्रोपराईटर मेसर्स मेघराज सर्राफ,थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा जो इंडियन ऑयल कंपनी के थौक विक्रेता हैं और जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा थौक किरासन तेल की बिक्री हेतु व्यापारिक अनुज्ञप्ति सं0-01/1998 निर्गत है द्वारा अपने आवेदन दिनांक-06.09.2011 के माध्यम से थौक किरासन तेल विक्रेता के पद से त्यागपत्र The Senior Divisional Retail Manager,M/S.-Indian Oil Corporation Ltd.(M.D.),Begusarai Division Office,Begusarai को समर्पित थौक किरासन तेल विक्रेता के पद से त्याग पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए माह-अक्तुबर,2011 से किरासन तेल के उठाव हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। उक्त तिथि से आज तक श्री सर्राफ द्वारा सौंपे गये इस्तीफा संबंधी आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को अप्राप्त है। तत्पश्चात् इस कार्यालय के ज्ञापांक-870,दिनांक-21.09.2013 द्वारा श्री राजेश सर्राफ,प्रोपराईटर,मेसर्स मेघराज सर्राफ,थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा से दो दिनों के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर Indian Oil Corporation Ltd. द्वारा थौक विक्रेता के पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं किये जाने के बावजूद दो वर्ष की लंबी अवधि तक किरासन तेल का उठाव नहीं करने के संबंध में कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में श्री राजेश सर्राफ द्वारा दिनांक-24.09.2013 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से कारण पृच्छा समर्पित किया गया। समर्पित कारण पृच्छा में श्री राजेश सर्राफ द्वारा Diabities एवं High Blood Pressure का मरीज होने तथा वर्तमान में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण थौक किरासन तेल विक्रेता के रूप में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कारण पृच्छा से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री सर्राफ द्वारा समर्पित कारण पृच्छा संतोषजनक पाया गया।

अतः बिहार व्यापारिक वस्तु अधिनियम-1984 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री राजेश कुमार सर्राफ,प्रोपराईटर,मेसर्स मेघराज सर्राफ,थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा को थौक किरासन तेल विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु निर्गत व्यापारिक अनुज्ञप्ति सं0-01/1998 को तात्कालिक प्रभाव से रदद् किया जाता है।

श्री सर्राफ को आदेश दिया जाता है कि अपने मृत भंडार में अवशेष 500 ली0 किरासन तेल निकटत्तम थौक किरासन तेल विक्रेता मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी,सिंहेश्वर को माह-सितम्बर,2011 में लागू थौक दर मो0-15.37 रू0 प्रति लीटर की दर से राशि प्राप्त कर हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जो उक्त किरासन तेल को अगले आदेश तक अपने भंडार में सुरक्षित रखेंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक......933......./आ0,मधेपुरा,दिनांक.....4.10.2013......।

प्रतिलिपिः-श्री राजेश कुमार सर्राफ,प्रोपराईटर,मेसर्स मेघराज सर्राफ,थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रोपराईटर मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी,थौक किरासन तेल विक्रेता,सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- The Senior Divisional Retail Manager, M/S.-Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.), Begusarai Division Office,Begusarai को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-निदेशक,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/13

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।